प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

11 दिसंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा नकदी ऋण खातों, चालू खातों और ओवरड्राफ्ट खातों के रखरखाव संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 अक्तूबर 2025 को लेनदेन खातों से संबंधित सात निदेशों के मसौदे, अर्थात् i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025; ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025; iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025; iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025; v) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025; vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – लेनदेन खाते) निदेश, 2025; और vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – लेनदेन खाते) निदेश, 2025 जारी किए, जिन पर हितधारकों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई थी। उक्त निदेशों के मसौदों का मुख्य उद्देश्य मौजूदा प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना था ताकि नकदी ऋण खाते, चालू खाते और ओवरड्राफ्ट खाते खोलने और उनके रखरखाव के लिए बैंकों को और अधिक सहूलियत प्रदान की जा सके।

2. मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की गई है और रिज़र्व बैंक द्वारा तय किए गए परिणामी संशोधनों को अंतिम निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मसौदों पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विवरण अनुबंध में दिये गए हैं।

3. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज अद्यतन सहित, जब भी वे प्रभावी होंगे, निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025;
(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक– ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025;
(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक – विविध) संशोधन निदेश, 2025;
(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025;
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025;
(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025; और
(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – ऋण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025।

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1684